भाग–2 (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है) प्रपोजल सँख्या–FP/UP/Road/18863/2016

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	बिलग्राम–इलाहाबाद रा0 राजमार्ग सं0–38 के चैनेज 37.170 से 39.900 के मध्य चौड़ीकरण की परियोजना
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
ii	जिला	उन्नाव।
iii	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव।
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल हे0 में	3.132 हे0
v	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
vi	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये), सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 4 भी संलग्न किये जायें	संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।
vii	हरियाली का घनत्व	0.016
viii	भू–क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	नगण्य
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा	24 किमी0 लगभग
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर का भाग है (यदि हॉ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डेन की टिप्पणी अनुबन्धित की जायें)	नहीं है।
xi	क्या वन क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिगत की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियॉ पायीं जाती हैं। यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नही है।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित है। यदि हॉ, तो तत्सम्बन्धी सक्षम अधिकार का प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	नही है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1, कालम–2 से प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नही तो जॉचे गये विकल्प के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया है (हॉ/नही) यदि हॉ, कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नही।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमिक वन क्षेत्र आस पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार। स्कीम का ब्यौरा	दूरी 24 किमी0, भू–खण्ड की सं0–1, आकार आयताकार।
ii	प्रति पूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमिक वन क्षेत्र आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	संलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण, कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	प्रजातियां–प्रोसोपिस, कंजी,, आदि। एजेंसी–सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उन्नाव स्कीम का विवरण–संलग्नक–3
iv	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रू0 2952700.00 मात्र
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये)	संलग्नक–4 के रूप में संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतया उपर्युक्त, कालम–7 (xi, xii) 8 से 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये	संलग्नक–5 के रूप में संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल	
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	455800.0 हे0
ii	जिले का वन क्षेत्र	16653.84 हे0
iii	मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया वनक्षेत्र	17 मामले, 99.6093 हे0
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	–
d	दण्ड के रुप में क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	23076 वृक्षों तथा 5.631 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण
[k	वनेत्तर भूमि पर	–
v	प्रतिपूरक वनीकरण से हुई प्रगति	
d	वन भूमि पर	89.286 हे0 एवं 8221 ब्रिकगार्ड
[k	वनेत्तर भूमि पर	–
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	व्यापक जनहित में परियोजना स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक– 18.06.2016

स्थान– उन्नाव

(वी0के0 मिश्रा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
उन्नाव